राज्य प्रोग्राम कमेटी (अन्धता)
(राज्य स्वास्थ्य समिति)
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर
टेलीफैक्स – 0141–2228743, Email - blindness_shs@rediffmail.com

क्रमाँकः अंधता/राज.सम्पर्क/2018–19/ दिनांकः

ज्ञानेश कुमार, (चीफ एडिटर)

4/209B,चित्रकूट ,वैशाली नगर, जयपुर।

(www.jawabdosarkar.com)

विषय : राजस्थान सम्पर्क परिवाद कमांक 09180534310874 की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 26.08.2018 को दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशित शीर्षक खबर 3 साल से टारगेट पूरा नहीं तो घटा दिया नेत्र प्रत्यारोपण का लक्ष्य के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

मानव शरीर प्रकृति का अमूल्य वरदान है जिसमें किसी अंग की जरूरत पड़ने पर अपने करीबी परिजन द्वारा उसकी जान बचाने के लिए अंगदान किया जाता है उदाहरण स्वरूप किडनी ,अग्नाशय,लीवर एवं नेत्र का प्रत्यारोपण है उक्त प्रत्यारोपणों में नेत्र को छोड़कर अन्य सभी जीवित अवस्था में ही किया जाता है परन्तु नेत्रदान मृत्युपरांत ही किया जाता है मृत्यु ईश्वर शाश्वत सत्य है। मृत्यु पश्चात परिजनों का दुखी,व्यथित ,उद्वेलित होना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में आई काउंसलर अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक द्वारा ऐसी गमगीन स्थिति से मृत शरीर से नेत्रदान के लिए परिजनों को समझाना/प्रेरित करना/सहमति लेना एक विशिष्ट कार्य है। जिसके लिए हमारी सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक धारणाएं भी अहम् भूमिका का निर्वहन करती है।

नेत्रदान की प्रकिया में निम्न प्रकार के कार्य किए जाते है :–

1. आई डोनेशन सेन्टर में कार्यरत कार्मिकों का कार्य समयबद्ध (शीतकाल में मृत्यु उपरान्त के 6 घंटे तक एवं ग्रीष्मकाल में मृत्यु उपरान्त के 4 घंटे अन्दर) तरीके से मृतक के परिजनों की नेत्रदान करने की सहमति उपरान्त नेत्र गोलक/कॉर्निया को निकालकर शीघ्रातिशीघ्र आई बैंक को विशेष माध्यम में (अवशीतलन प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए)सुरक्षित तरीके से पहुंचाना होता है। आई डोनेशन सेन्टर द्वारा हमेशा मृतक के परिजनों को नेत्रदान हेतु प्रेरित ही किया जाता है ,यदि जीवित अवस्था में नेत्रदान करने की सहमति प्रदान की है अर्थात् नेत्रदान के लिए परिवार की प्रतिज्ञा सम्बन्धी फॉर्म भरा हुआ है ,या यदि दूर्भाग्यवश दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हुई है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिजनों की सहमति आवश्यक है।
2. आई बैंक का कार्य आई डोनेशन सेन्टर से प्राप्त नेत्रों की विशिष्ट माइक्रोस्कोप द्वारा जाँचकर उनकी गुणवत्तानुसार नेत्र प्रत्यारोपण के लिए प्रत्यारोपण सेन्टर में भिजवाना है।जिन कॉर्निया की गुणवत्ता ऑप्टीकल कैरेटोप्लास्टी के लायक नहीं होती है उनको नेत्र विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान कार्य हेतु अथवा नेत्र विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु काम में लिया जाता है।
3. कैरेटोप्लास्टी सेन्टर (नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्र) :– राजकीय मेडीकल कॉलेज एवं इनके अतिरिक्त जिलों में कार्यरत विभिन्न प्राइवेट नेत्र विशेषज्ञों द्वारा भी कैरेटोप्लास्टी का कार्य किया जाता है ,इसके लिए नेत्र प्रत्यारोपण कार्य करने वाले संस्थान को भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार एचओटीए (Human Organ Transplantation Act.) प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

   भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं होने कारण कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के वास्तविक मरीजों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

   स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों में अंतिम छोर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिनमें आशावर्कर भी सम्मिलित है को विभिन्न कार्यशालाओं में निर्देशित किया जाता है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के मरीजों को चिन्हित करके उनको जिले में कार्यरत नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्र में भेजा जाए। नेत्र सहायकों की कमी का पूरा करने के लिए नेत्र सहायकों को सीएचसी स्तर पर पदस्थापित किया गया है तथा नव नियुक्त नेत्र सहायकों को मृत शरीर से कॉर्निया निकालने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

   राजकीय नेत्र विशेषज्ञों को नेत्र प्रत्यारोपण एवं आई बैंकिंग की प्रशिक्षण का प्रावधान के फलस्वरूप भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार नेत्र प्रतयारोपण बढ़ाने के लिए ,चिन्हित प्रत्यारोपण सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

विभाग द्वारा जिला तथा ब्लॉक स्तर पर जहाँ पर नेत्र विशेषज्ञ कार्यरत है में प्रतिमाह विशेष केम्पों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें मोतियाबिन्द ऑपरेशन के साथ साथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मरीजों की संख्या की गणना कर नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्र भिजवाए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

इस संवेदनशील कार्य के लिए सामाजिक जन चेतना का होना आवश्यक है,जिसके लिए प्रिन्ट मीडिया एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया का होना सकारात्मक सहयोग वांछनीय है।

अपर निदेशक (अंधता निवारण) एवं
सदस्य सचिव, राज्य प्रोग्राम कमेटी (अंधता),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमाँकः अंधता/राज.सम्पर्क/2018–19/603 दिनांकः 12/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) एवं अध्यक्ष स्टेट प्रोग्राम कमेटी (ब्लाईण्डनेंस), मुख्यालय।
3. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, एनएचएम, मुख्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।
5. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

अपर निदेशक (अंधता निवारण) एवं
सदस्य सचिव, राज्य प्रोग्राम कमेटी (अंधता),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ,
राजस्थान, जयपुर